न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चौथ का बरवाड़ा

मु0नं0:– 30 / 2024 तारीख रजू:–27.8.2024

जी.सी.एम.एस. नं0:– 2024 / 105

पीठासीन अधिकारी :–जोगेन्द्र सिंह (आर.ए.एस.)

1. कमला पत्नि राजाराम जाति गुर्जर निवासी ग्राम चौथ का बरवाडा, जिला सवाई माधोपुर।

–प्रार्थी

बनाम

1. जयचन्द मीना पुत्र मोती लाल मीना निवासी ग्राम झोपड़ा, तहसील, चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर।

–अप्रार्थी

उपस्थित::–

वकील प्रार्थीगण :–श्री सुधीर कुमार जैन एडवोकेट

अप्रार्थी :– श्री अब्दुल वहाब एडवोकेट

निर्णय दिनांक:– 10.11.2025

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0आर0 एक्ट

1. प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि–

❖ प्रार्थिया ग्राम चौथ का बरवाड़ा की निवासी है तथा पेशा काश्तकार है। प्रार्थिया की खातेदारी एव कब्जे काश्त की आराजीयात ग्राम सिरोही पटवार हल्का झोपडा तहसील चौथ का बरवाडा में स्थित है जिसका खाता सख्या 12 है तथा खसरा नम्बर 535 रकबा 13000 हैक्टेयर किस्म बारानी 3 खसरा नम्बर 536 रकबा 1.1700 हैक्टेयर किस्म बारानी 3, खसरा नम्बर 541 रकबा 0.0900 हैक्टेयर किस्म बारानी 3, खसरा नम्बर 542 रकबा 0.7900 हैक्टेयर किस्म बारानी 3 कुल खसरे 4, कुल रकबा 3.3500 हैक्टेयर है जिस पर प्रार्थिया काश्त कर अपने परिवार का पालन पोषण करती चली आ रही है।

❖ अप्रार्थी का प्रार्थिया की खातेदारी भूमि से कोई सम्बन्ध ... नहीं है, इसके बावजूद वह हर वर्ष प्रार्थिया की जमीन पर ... करने का प्रयास करता है जिसका उसको कोई कानूनी अधिकार नहीं ... अप्रार्थी ने वन विभाग की भूमि जो प्रार्थिया के आसपास है पर जबरन कब्जा कर रखा है तथा इसी अनुसरण में कब्जा करने की नियत से अप्रार्थी प्रार्थिया की खातेदारी भूमि में भी घुसने का प्रयास करता रहता है इसलिए आस पास अप्रार्थी की खातेदारी भूमि नहीं होने पर भी उसको पक्षकार बनाया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2025.11.11 16:26:42 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

❖ प्रार्थिया अपनी खातेदारी की भूमि में पत्थर गढी करवाकर तारबन्दी करवाना चाहती है जिससे मौके पर कोई सीमा सम्बन्धी विवाद न हो और प्रार्थिया बिना किसी रोकटोक के शान्तिपूर्वक अपनी खातेदारी भूमि का उपयोग व उपभोग कर सके इसलिए यह प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है।

❖ दिनाक 11.06.2024 को प्रार्थिया के प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार जी चौथ का बरवाड़ा के आदेश क्रमाक/भू.अ/2024/1052 दिनांक 07.06.2024 के अनुसरण में राजस्व कर्मचारियों ने प्रार्थिया की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 535, 536 541 व 542 का मुस्तकिल बिन्दु खसरा नम्बर 509 किस्म चरागाह से जरीब चलाकर निशानात कायम किए थे व गवाहों की उपस्थिति में सीमाज्ञान किया था. इसके बावजूद भी अप्रार्थी तारबन्दी से रोकता है इसलिए अब पत्थर गढ़ी करवाना आवश्यक हो गया है।

❖ प्रार्थिया खसरा नम्बर 535, 536, 541 व 542 की खातेदार काश्तकार है इसलिए उसे अपनी भूमि में पत्थरगढ़ी करने का पूरा–पूरा अधिकार है।

❖ अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थिया की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 535, 536 541 व 542 का कुल खसरे 4 कुल रकबा 3.3500 हैक्टेयर वाके ग्राम सिरोही पटवार हल्का झोपडा, तहसील चौथ का बरवाडा की पत्थर गढी करने के आदेश फरमाये जाकर पत्थर गढ़ी करवाई जावे।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सत्यमेव जयते चौथ का बरवाड़ा

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर नोटिस बनाम अप्रार्थी जारी किये जाकर उनको न्यायालय में तलब किया गया।

3. वकील अप्रार्थी की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश कि है कि–

➢ सीमाज्ञान करते समय आप–आप के खातेदारी को मौके पर बुलाया जाना चाहिए था जो नहीं बुलाया इसलिए प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

➢ जब प्रार्थिया का मौके पर कब्जा नहीं है तो पत्थरगढी कराने [illegible] कोई अधिकार प्राप्त नहीं है।

➢ प्रार्थिया ने यह प्रार्थना पत्र मुझ अप्रार्थी के विरूद्व गलत एवं निराधार [illegible]के से पेश किय है जो निरस्त होने योग्य है।

➢ प्रार्थिया ने खसरा नम्बर 535, 536, 541, 542 कुल रकबा 3.35 है0 वाके ग्राम सिरोही के संबंध में यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। जबकि प्रार्थिया चौथ का

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Sing
Date: 2025.11.11 16:26:42 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

बरवाडा की रहने वाली है जिसने कि पूर्व के खातेदार से भूमि खरीद की है। और जिससे प्रार्थिया ने विवादित जमीन खरीद की है उसका भी कब्जा कभी नहीं रहा है मात्र कागजों में खाता बदला है इसलिए कब्जे के अभाव में प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं होकर खारिज योग्य है।

- सेटलमेन्ट के द्वारा गलत जगह विवादित भूमि को खातेदारी में लगा दी जबकि प्रार्थिया या उसके पूर्व खातेदार का कभी कब्जा नहीं रहा। यह गलती सेटलमेन्ट विभाग वालों द्वारा की गई है। जिसको प्रार्थिया शुद्व नहीं करवा लेती तब तक उसको प्रार्थना पत्र पेश करने का अधिकार नहीं है।

- अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र मय हर्जे खारिज फरमाने की कृपा करें।

4. तहसीलदार, चौथ का बरवाडा ने अपने पत्रांक भू0अ0/2025/09 दिनांक 08.1.2025 द्वारा रिपोर्ट इस न्यायालय में पेश की है जो निम्नानुसार है–

- कमला पत्नि राजाराम जाति गुर्जर ग्राम चौथ का बरवाडा का निवासी है।
- कमला पत्नि राजाराम जाति गुर्जर के ग्राम सिरोही पटवार मण्डल झोपडा में खाता–12 में खसरा नम्बर 535 रकबा 1.30 है0 किस्म बारानी 3, खसरा नं. 536 रकबा 1.17 किस्म बारानी 3, खसरा नं. 541, रकबा 0.09 किस्म बारानी 3, खसरा नं. 542 रकबा 0.79 किस्म बारानी 3 राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। कुल किता – 4 रकबा 03.35 है0 खातेदारी कमला गुर्जर के दर्ज है।
- कमला पत्नि राजाराम जाति गुर्जर की खातेदारी जमीन के चारों ओर वन विभाग की सीमा है तथा आशिक सिवायचक जमीन से सीमा लगी हुई है। खातेदारी भूमि के कुल रकबा 03.35 है0 में से लगभग 0.40 है0 पर जयचन्द मीना पुत्र मोतीलाल मीना का वर्तमान में कब्जा काश्त है।
- पूर्व में इस कार्यालय कें आदेश द्वारा खसरा नंबर 535, 536, 541 व 542 का नियमानुसर राजस्व रिकॉर्ड से सीमाज्ञान किया गया था। खसरा नंबर 542 में दोनों पक्षों में सीमा संबंधी विवाद है।

5. बहस बकुलाय सुनी गई। उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं ने प्रार्थना पत्र एवं प्रस्तुत जवाब में अंकित कथनों का दोहरान किया। मैंने उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया।

6. स्थायी जमाबंदी दिनांक 17.08.2024 के खाता संख्या 12 के अनुसार प्रार्थी विवादित आराजी खसरा नंबर 535, 536, 541 व 542 की रिकॉर्डेड खातेदार है। तहसीलदार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सत्यमेव जयते चौथ का बरवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Sing
Date: 2025.11.11 16:26:42 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

चौथ का बरवाड़ा की रिपोर्ट के अनुसार विवादित आराजीयात के 0.40 है0 पर अप्रार्थी का कब्जा है।

7. इससे स्पष्ट है कि विवादित आराजी के अधिकांश भाग पर प्रार्थी का ही कब्जा है। इस प्रकरण में कुल 3.35 है0 में से अधिकांश भाग पर प्रार्थी का ही कब्जा होने के कारण व मात्र 0.40 है0 पर सीमावर्ती खातेदार का कब्जा होने के कारण यह विवाद मूलतः कब्जे का न होकर सीमा संबंधी है। मौके पर आवेदित खसरे की सीमा नक्शे अनुरूप सही स्थापित न होने के कारण सीमा से सटे भू–भाग पर कब्जा आवेदक खातेदार का न होकर सीमावर्ती खातेदार का हो सकता है। जिसके कारण सीमा विवाद उत्पन्न होता है। अतः हस्तगत प्रकरण में पत्थरगढ़ी करते हुए सीमा विवाद का निपटारा किया जाना न्यायोचित है।

–:आदेश:–

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार चौथ का बरवाडा को आदेश दिये जाते हैं कि वे ग्राम सिरोही, तहसील चौथ का बरवाड़ा के खसरा नंबर 535, 536, 541 व 542 कुल रकबा 3.35 है0 भूमि की उपभयपक्षों की उपस्थिति में पत्थरगढ़ी की जाये। पत्थरगढ़ी करवाये जाने का नियमानुसार समस्त खर्चा प्रार्थी द्वारा वहन किया जावेगा। निर्णय आज दिनांक 10.11.2025 को खुले न्यायालय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(जोगेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स0 मा0)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
चौथ का बरवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Sing
Date: 2025.11.11 16:26:42 IST
Reason: SelfAttested